

**शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम**  
ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 4674 /स्थापना/विज्ञप्ति/2023

दिनांक :- 13/05/23

// सीमित विज्ञप्ति //

- 1) म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12-01-2018 द्वारा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन निम्नलिखित विभागों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 12/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27/12/2022 के अनुसार आवेदन की पात्रता सिर्फ शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम एवं संबद्ध अस्पताल में पदस्थ उन्हीं चिकित्सो की होगी जो कि शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू 14/02/2022 के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हों। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में दिनांक 27/05/2023 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई डी [deanratlam@gmail.com](mailto:deanratlam@gmail.com) पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।
- 3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**(सीधी भर्ती) सह प्राध्यापक**

क.	विभाग	सहप्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC
1	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1	-	-	-
	<b>Total - (01)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(पदोन्नति) सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक**

क.	विभाग	पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद निम्न पदों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।											
		प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	मनो रोग	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	नेत्र रोग	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total - (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**नोट:-**

- 1) पदोन्नति के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 12.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
- 2) अम्न्यार्थी को आवेदन में पद की अर्हता से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं संलग्न एनेक्सर के साथ आवेदन करना होगा एवं आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। - पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। उक्त सन्दर्भ में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नस्ति अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

### 1. वेतनमान -

### नियमित नियुक्ति हेतु

सह प्राध्यापक - 37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+डी0ए0  
टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

### 2. आयु सीमा -

### न्यूनतम

सह प्राध्यापक - 30 वर्ष  
टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी 2023 के आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

### 3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

### 4. अर्हताएं :-


- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा द्वारा प्रस्थापित टी.ई.क्यू. दिनांक 14/02/2022 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं।
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- न्यूनतम अर्हताएं के निर्धारित मापदण्डों की गणना आवेदन दिनांक की अंतिम दिवस तक मान्य की जावेगी।


### 5. निरर्हताएं :-

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
  - 5.2 दुश्चरित्र होने पर।
  - 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  - 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
  - 5.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
  - 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
  - 5.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  - 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  - 5.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
6. इस संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी जो कि पूर्व में 01 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन्हें इस अनुबंध से मुक्त रखा जावेगा।

7. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
8. पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
10. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
12. यदि कोई चिकित्सा शिक्षक किसी भी शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो चुका है, उसने पदभार ग्रहण ना भी किया हो तो भी वह आगामी तीन वर्षों के लिए किसी भी अन्य शासकीय महाविद्यालय में नियुक्त के लिए अर्हता नहीं रखेगा तथा इसलिए उसे विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।
13. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
14. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, **Dean & CEO Government Medical college Ratlam** ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 27.05.2023 सांय 5:00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, (म.प्र.) में जमा कराये जा सकते हैं | अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई.डी **deanratlam@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार संभावित के संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
15. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।
16. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पद पर उपलब्ध है।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
**33 Dean**  
**Govt Medical College.**  
**रतलाम (M.P.)**  
**डॉ. जितेंद्र राठौर**  
 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

  
**प्रशासकीय अधिकारी**  
**स्थापना शाखा**  
**शा. स्वशासी चि. महा.**  
**रतलाम**

## आवेदन का प्रारूप

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 27.05.2023)

स्वप्रमाणित  
फोटो

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम .....
  2. पुरुष/महिला.....
  3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
  4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
  5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
  6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) .....
  7. जन्मतिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
  8. दिनांक 01/01/2023 को आवेदक की आयु .....दिन ..... माह ..... वर्ष
  9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
  10. विवाह का दिनांक- .....
  11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
  12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....
- अ. (एम.बी.बी.एस.)-  
ब. एमडी/एमएस-  
स. एमसीएच/डीएम-

13. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/पतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	

- 1 MBBS First Prof.
- 2 MBBS Second Prof.
- 3 MBBS Final Part I
- 4 MBBS Final Part II
- 5 MD/MS/MCH/DM
- 6 S.R.

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर